

[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 04 फरवरी, 2020

सा. का. नि... (अ).- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के अधिसूचना संख्या 06/2020- केन्द्रीय कर, दिनांक 03 फरवरी, 2020 जिसे सा. का. नि 82 (अ), 03 फरवरी, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 2 खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में -

- (क) पृष्ठ 1 में, पंक्ति 22 में, "तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड" के स्थान पर "तमिल नाडु, उत्तराखंड" पढ़े;
(ख) पृष्ठ 2 में, पंक्ति 05 में, "त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल" के स्थान पर "त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल" पढ़े।

[फा.सं.20/06/07/2019-जीएसटी]

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार